भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3984

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

बाजार में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले

3984. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के भीतर एक विशेष कार्यबल या त्वरित तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि बाजार में पंप-एंड-डंप योजनाओं जैसे धोखाधडी के मामलों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके, उनकी जांच की जा सके और उन पर मुकदमा चलाया जा सके;

(ख) क्या सेबी के भीतर जोखिम न्यूनीकरण प्रोटोकॉल या पूर्व-चेतावनी प्रणालियां मौजूद हैं ताकि नकदी-रहित या लघु-पूंजी शेयरों में मूल्य की असामान्य मात्रा में उतार-चढ़ाव का पता लगाया जा सके जो पंप-एंड-डंप गतिविधि का संकेत दे सकते हैं;

(ग) सेबी द्वारा सोशल मीडिया, पेड इन्फलुएंसर्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग समूहों की भूमिका को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो निवेशकों को गुमराह करते हैं और पंप-एंड-डंप योजनाओं को बढ़ावा देते हैं;

(ङ) क्या सेबी एसएमई एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और कम नकदी वाली कंपनियों के लिए उच्च प्रकटीकरण मानदंड और निवेशक जोखिम संबंधी चेतावनियां अधिदेशित करता है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजारों के स्थिर संचालन और विकास को कार्यान्वित करने के लिए विनियामक और निगरानी ढांचे स्थापित किए हैं।

यह आंतरिक प्रणालियों का उपयोग करके परिसंपत्ति वर्गों, बाज़ार खंडों और स्टॉक एक्सचेंजों में निरंतर निगरानी करता है ताकि रुझानों पर नज़र रखी जा सके, असामान्य मूल्य/मात्रा में उतार-चढ़ाव का पता लगाया जा सके तथा कंपनी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप न होने वाली

असामान्य मूल्य वृद्धि की पहचान की जा सके। ये प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार के अलर्ट सृजित करती हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, मूल्य-मात्रा में हेरफेर और अन्य अनियमितताओं की संभावित घटनाओं का संकेत देते हैं। ऐसे अलर्ट, निवेशकों की शिकायतों के साथ, विस्तृत जाँच के लिए इनपुट के रूप में कार्य करते हैं, जिसके आधार पर सेबी जाँच करता है और सेबी अधिनियम, 1992 के तहत प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ): सेबी ने सोशल मीडिया पर अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स द्वारा पोस्ट और वीडियो, जो सेबी के विनियमों का उल्लंघन करते हैं, के माध्यम से दी गई सलाह से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इन कदमों में गैरकानूनी प्रतिभूतियों से संबंधित सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटाने से स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर श्वेतसूचीबद्ध ब्रोकर ऐप की सूची प्रकाशित करना और एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) शुरू करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल सेबी पंजीकृत मध्यस्थ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दे सकें। यह उभरते हुए धोखाधड़ी का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए नियमित रूप से सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, तथा सेबी ने एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे ट्रेडिंग सदस्यों, विनियमित व्यक्तियों और उनके एजेंटों को अनधिकृत निवेश सलाह या रिटर्न दावे देने वाली संस्थाओं से जुड़ने से रोकें।

(ङ): सेबी ने एसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों के एसएमई प्लेटफॉर्म के जरिए धन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के तहत एक समर्पित ढाँचा उपलब्ध कराया है। मार्च 2025 में, सेबी ने एसएमई लिस्टिंग को और मज़बूत बनाने के लिए इन विनियमों में संशोधन किया, जिसमें संशोधित न्यूनतम आवेदन आकार, प्रमोटर होल्डिंग लॉक-इन, संबंधित पक्ष लेनदेन मानदंडों की प्रयोज्यता और एक निगरानी एजेंसी की अनिवार्य नियुक्ति जैसे उपाय शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से एसएमई क्षेत्र में हेरफेर की गुंजाइश अवसरों को कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, ट्रेडिंग सदस्यों को निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सावधान करने के लिए, ऑर्डर प्रविष्टि के समय ट्रेडिंग टर्मिनलों पर स्क्रिप-विशिष्ट चेतावनी संदेश प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जैसे कि चल रही निगरानी कार्रवाई, लिस्टिंग मानदंडों का अनुपालन न करना, या उच्च मूल्य-से-आय अनुपात।

***